

आवार्ड

चूँकि क ख तथा ग घ के दिनांक के एक करार के द्वारा/तथा उपर्युक्त वाद के दिनांक के निर्देश के आदेशों के अनुसार मुझे निर्देश के विषय क्षेत्र (scope) की सीमा के भीतर ऐसे मामलों पर निर्णय देने के लिए नियुक्त किया गया, जिन पर निर्णय करने में या तो मध्यस्थ असफल हुए या जिनकी वे अवहेलना (disregard) कर गये,

और चूँकि मध्यस्थ ग तथा घ में निम्नलिखित मतभेद के विषय को मेरे अन्तिम निश्चय (final determination) के लिए भेजा है,

अब मैं ने उक्त मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत सभी मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर तथा दाखिल किये गये साक्ष्यों पर विचार कर तथा पक्षकारों की सुनवायी कर एतद्वारा अपना अन्तिम पंचाट निम्नलिखित रूप में देता हूँ।

(जैसा दृष्टान्त संख्या 5 में दिया हुआ है)।

साक्ष्य स्वरूप मैंने 19 के के दिन अपने हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर साक्षी